

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/01/24 पत्रावली पैरा हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी व उनके अधिवक्ताओं को न्यायालय में रुक-रुक कर बार-2 भवाज दिलवाई गई। कोई भी न्यायालय में शाम तक उपस्थित नहीं आया अतः प्रकरण को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार ऐबर नम्बर से कम है तथा दाखिल दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
सैथल